रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012025-260586 CG-DL-E-29012025-260586

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946

No. 53]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946

संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

सा.का.िन. 82(अ).—िनम्निलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (य ञ) के साथ पिठत धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों को राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अविध की समाप्ति के बाद प्रभावी समझा जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001 को भेजे जाएं;

उपर्युक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से उल्लिखित अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

- 1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और व्यावृत्ति
- (1) इन नियमों को दूरसंचार (मानक, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रमाणन) नियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

726 GI/2025 (1)

- (3) ये नियम भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2017 के अधिक्रमण में होंगे, लेकिन मौजूदा मानकों, जरूरी आवश्यकताओं, इंटरफेस आवश्यकताओं, सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताओं, विनिर्देशों, परीक्षण आवश्यकताओं या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुरूपता मूल्यांकन के नियमों और शर्तों को अभिभावी नहीं करेंगे, जो ऐसे समय तक लागू रहेंगी जब तक केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा इनका अधिक्रमण नहीं हो जाता है।
- 2. परिभाषाएँ
- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
- (क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
- (ख) "समुचित प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम 4 के अधीन अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि" या "एआईआर" से ऐसा कानूनी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अंतर्गत आवश्यक सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए विदेशी मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किया गया है;
- (घ) "अनुरूपता मूल्यांकन" से अधिसूचित मानकों के अनुपालन को प्रदर्शित करने और निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (ङ) "सीएबी" या "अनुरूपता मूल्यांकन निकाय" से इन नियमों के अंतर्गत अनुरूपता मूल्यांकन के उद्देश्य से समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है:
- (च) "जरूरी आवश्यकताओं" या "ईआर" से टीईसी द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित मापदंडों, मानकों, विनिर्देशों, सुरक्षा आवश्यकताओं, जैसा भी मामला हो, का सेट अभिप्रेत है;
- (छ) "लाइसेंस" से ऐसा कोई लाइसेंस, पंजीकरण, या अनुमित, चाहे जो भी नाम हो, अभिप्रेत है जो दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत जारी की गई है, और लाइसेंसधारी शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (ज) "मूल उपकरण विनिर्माता" या "ओईएम" का आशय ऐसी किसी कंपनी या फर्म से है जो स्वयं या अनुबंध विनिर्माण के माध्यम से विनिर्माण के लिए उत्तरदायी है और जिसके ब्रांड के अंतर्गत दूरसंचार उपकरण बेचा जाता है या बेचा जाना प्रस्तावित है:
- (झ) "पोर्टल" से वह पोर्टल अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के नियम 12 के अंतर्गत अधिसूचित किया जा सकेगा: और
- (ञ) "मानक" से समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो निम्नलिखित में से किसी एक या सभी को निर्धारित करता है: दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार पहचानकर्ताओं, दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं के संबंध में विशेषताओं, संबंधित प्रक्रियाओं, संहिताओं, विनिर्देशों, अनुशंसित व्यवहारों, वर्गीकरण, परीक्षण विधियों, प्रक्रियाओं और गाइड, तथा इसमें जरूरी आवश्यकताएं और भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताएं शामिल हैं।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद जो यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके अर्थ अधिनियम में क्रमशः उल्लिखित अभिप्राय होंगे।
- इन नियमों की प्रयोज्यता

ये नियम, और अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचित मानक और अनुरूपता मूल्यांकन उपाय ओईएम, एआईआर, आयातकों, संवितरकों, विक्रेताओं, अधिकृत संस्थाओं, लाइसेंसधारियों और उपयोगकर्ताओं पर लागू होंगे।

- 4. सम्चित प्राधिकारी
- (1) दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र और राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केन्द्र, जो दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय हैं. प्रत्येक इन नियमों के प्रयोजनार्थ समचित प्राधिकारी होंगे।
- (2) केंद्रीय सरकार मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों की अधिसूचना के प्रयोजन के लिए किसी अन्य कार्यालय अथवा प्राधिकरण को समुचित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
- 5. मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन की अधिसूचना और समीक्षा
- (1) समुचित प्राधिकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत विनिर्दिष्ट किसी भी या सभी पहलुओं के संबंध में मानकों और अनुरूपता मुल्यांकन उपायों को अधिसुचित करेगा।

- (2) समुचित प्राधिकारी मसौदा मानकों और मसौदा अनुरूपता मूल्यांकन उपायों का पूर्व प्रकाशन सुनिश्चित करेगा, जिसमें दूरसंचार उपकरणों के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल हैं, ताकि हितधारकों को अपनी टिप्पणियां प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए कम से कम तीस दिनों की परामर्श प्रक्रिया मिल सके, जिसे मानकों या अनुरूपता मूल्यांकन उपायों, जैसा भी मामला हो, को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।
- (3) समुचित प्राधिकारी, उप-नियम (2) के होते हुए भी, बिना किसी परामर्श प्रक्रिया के अनंतिम आधार पर किसी मानक या अनुरूपता मूल्यांकन उपाय को अधिसूचित कर सकेगा, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, जहां यह निर्धारित करता है: (क) कि ऐसी अधिसूचना किसी नीतिगत उद्देश्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और (ख) यदि अनंतिम आधार पर ऐसी अधिसूचना नहीं की जाती है तो इस तरह के उद्देश्य की पूर्ति न होने के जोखिम हैं:

बशर्ते समुचित प्राधिकारी ऐसी अधिसूचना के साठ दिनों की अवधि के भीतर, उप-नियम (2) के तहत यथा-अधिदेशित परामर्श प्रक्रिया शुरू करेगा और मानकों या अनुरूपता मूल्यांकन उपायों को अंतिम रूप देने या ऐसे मानकों या अनुरूपता मूल्यांकन उपायों को वापस लेने के लिए हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करेगा।

- (4) समुचित प्राधिकारी, उप-नियम (2) के होते हुए भी, किसी भी अधिसूचित मानक या अनुरूपता मूल्यांकन उपाय में किसी भी स्पष्ट गलती या त्रुटि को हितधारकों से पूर्व परामर्श के बिना सुधार सकता है।
- (5) समुचित प्राधिकारी इन नियमों के अनुसार ऐसे मानकों के पुनरीक्षण, संशोधन, पुन:पृष्टि या वापस लेने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए तीन वर्षों में कम से कम एक बार सभी अधिसूचित मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों की समीक्षा करेगा।
- (6) इन नियमों के तहत अधिसूचित कोई भी मानक उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा: बशर्ते समुचित प्राधिकारी किसी मानक के दो संस्करणों के समवर्ती संचालन और इस तरह के समवर्ती संचालन की अविध को अनुमत कर सकेगा।
- 6. अनुरूपता मूल्यांकन निकायों की मान्यता
- (1) समुचित प्राधिकारी अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अधिसूचित मानकों का अनुरूपता मूल्यांकन करने के लिए सीएबी के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग के अंतर्गत प्रत्यायित भारत की किसी प्रयोगशाला अथवा किसी अन्य देश की प्रयोगशाला जिसके साथ भारत की भू-सीमा लगती है, को छोड़कर किसी अन्य देश में प्रयोगशाला को सीएबी के रूप में मान्यता दे सकता है।
- (2) समुचित प्राधिकारी समय-समय पर सीएबी की मान्यता, निलंबन, वापसी या मान्यता के नवीनीकरण के लिए दिशानिर्देश निर्दिष्ट कर सकता है:

बशर्ते सीएबी की मान्यता या पदनाम को संबंधित सीएबी को दिए जाने के उचित अवसर के बिना निलंबित या वापस नहीं लिया जाएगा।

- (3) समुचित प्राधिकारी अपने द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या नामित सीएबी का रिकॉर्ड रखेगा।
- 7. अनुरूपता मूल्यांकन का अनुपालन
- (1) प्रत्येक ओईएम, एआईआर, आयातक, वितरक, विक्रेता, प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक, जैसा भी मामला हो, अपनी लागत पर, लागू मानक के संबंध में अनुरूपता मूल्यांकन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, और अनुरूपता मूल्यांकन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए समुचित प्राधिकारी को परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (2) अनुरूपता मूल्यांकन के प्रमाण पत्र की वैधता इस तरह के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट होगी, और इस तरह के प्रमाण पत्र को समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन नवीनीकृत किया जा सकता है।
- (3) समुचित प्राधिकारी, समय-समय पर, अनुरूपता मूल्यांकन प्रमाण पत्र जारी करने और इसके नवीनीकरण के लिए पोर्टल पर शुल्क निर्दिष्ट कर सकता है।
- (4) जहां एक अधिसूचित मानक लागू होता है, ओईएम या एआईआर, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि मानक का विवरण, और समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन की प्रमाणपत्र संख्या और इसकी वैधता, दूरसंचार उपकरण पर एक दृश्य तरीके से प्रदर्शित की जाती है।
- (5) कोई भी दूरसंचार उपस्कर, जिस पर कोई मानक लागू होता है, किसी भी दूरसंचार नेटवर्क में बेचा या संस्थापित नहीं किया जाएगा, या भारत के क्षेत्र में तब तक उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी अनुरूपता का वैध प्रमाण पत्र न हो।

- 8. अनुरूपता मूल्यांकन से छूट
- (1) इन नियमों के तहत अनुरूपता मूल्यांकन की आवश्यकता से निम्नलिखित को छूट दी जाएगी:
- (क) भारत में नमूनों के अनुसंधान और विकास या प्रदर्शन या परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत में आयात किए गए दूरसंचार उपस्कर, जो अनुसंधान, प्रदर्शन या परीक्षण के लिए प्रासंगिक नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के अधीन है; और
- (ख) भारत में व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भारत में लाए गए दूरसंचार उपस्कर और जिनका अधिनियम अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत आयात करना या प्रयोग करना प्रतिबंधित नहीं है।
- (2) एक ओईएम, एआईआर, आयातक, वितरक, विक्रेता, प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी, को निम्नलिखित मामलों में दूरसंचार उपस्करों के किसी भी पुनर्प्रमाणन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी:
- (क) जहां ऐसे दूरसंचार उपस्करों का मॉडल या ब्रांड समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए प्रमाणन से किसी भी तरह से अलग नहीं है: और
- (ख) जहां ऐसे दूरसंचार उपस्कर समय-समय पर समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी भी लेबलिंग आवश्यकताओं में परिवर्तन का अनुपालन करते हैं।
- (3) केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट लोगों के अलावा, अनुरूपता मूल्यांकन के लिए आवश्यकता से छूट अधिसूचित कर सकती है।
- 9. अनुरूपता मूल्यांकन के वैध प्रमाण पत्र के बिना दूरसंचार उपस्करों के संबंध में एक प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी द्वारा प्रक्रिया
- (1) प्राधिकृत संस्था अथवा लाइसेंसधारक, ऐसे दूरसंचार उपस्कर, जिनके पास अनुरूपता मूल्यांकन का वैध प्रमाण-पत्र नहीं है, के उपयोग के बारे में पता लगने पर, प्रयोक्ता को लिखित रूप में नोटिस जारी करेगा जिसमें नोटिस जारी होने की तारीख से सात दिनों की अविध के भीतर ऐसे दूरसंचार उपस्कर के प्रयोक्ता द्वारा इसे बंद करने की मांग की जाएगी।
- (2) जहां कोई उपयोगकर्ता, उप-नियम (1) के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने पर, इस तरह के नोटिस जारी करने की तारीख से सात दिनों के भीतर गैर-अनुपालन वाले दूरसंचार उपस्कर के उपयोग को बंद नहीं करता है, तो प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक, ऐसे उपयोगकर्ता की दूरसंचार नेटवर्क से दूरसंचार सेवा या कनेक्टिविटी को निलंबित कर देगा और इस प्रकार के उपस्कर बंद होने के बारे में लिखित रूप में केंद्रीय सरकार को सूचित करेगा।
- 10. निरीक्षण और निगरानी
- (1) समुचित प्राधिकारी, या इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, समय-समय पर इन नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन का निरीक्षण और निगरानी कर सकता है।
- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत निरीक्षण किए जाने वाले दूरसंचार उपस्कर रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस तरह के निरीक्षण और निगरानी के प्रयोजनों के लिए समुचित प्राधिकारी, या इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी तक पहुंच सुनिश्चित करेगा और समुचित प्राधिकारी द्वारा मांगी जा सकने वाली जानकारी प्रदान करेगा।
- 11. उल्लंघन के संबंध में प्रक्रिया
- (1) यदि समुचित प्राधिकारी, या इन नियमों के तहत निरीक्षण और निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, निरीक्षण के दौरान या अन्यथा उसे यह सूचना प्राप्त होती है कि दूरसंचार उपस्कर में अनुरूपता मूल्यांकन के वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो यह ऐसे उपस्कर के स्वामित्व वाले व्यक्ति को बिक्री या वितरण के लिए पेशकश करने या किसी भी तरीके से इस तरह के उपकरण का उपयोग करने से रोकने के लिए लिखित रूप में नोटिस जारी करेगा, और इस तरह के नोटिस के प्राप्तकर्ता को इस तरह के नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर इस तरह के नोटिस का पालन करना होगा:

बशर्ते उप-नियम (1) के तहत नोटिस का प्राप्तकर्ता, प्रासंगिक दूरसंचार उपकरण के लिए इन नियमों के तहत आवश्यक प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि ऐसा प्रमाणन इस तरह के नोटिस से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर प्राप्त किया जाता है, तो यह ऐसे उपकरण को बेचने या वितरित करने या अन्यथा उपयोग करने का हकदार होगा;

बशर्ते इस तरह के प्रमाणन के लिए लागू शुल्क नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क का दस गुना होगी।

- (2) समुचित प्राधिकारी उप-नियम (1) के उल्लंघन में उपयोग किए जाने वाले उपस्कर को जब्त करने या नष्ट करने के लिए कानुनी कार्यवाही शुरू कर सकता है।
- 12. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन

केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 को आगे बढ़ाते हुए, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल को अधिसूचित कर सकती है, जिसमें मानकों के विनिर्देश और अनुरूपता मूल्यांकन, अनुपालन के लिए प्रक्रियाएं, शुल्क और प्रभार, गैर-अनुरूपता के नोटिस, और समुचित प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के तहत कोई आदेश या निर्देश शामिल होंगे।

> [फा. सं. 24-13/2024-यूबीबी] देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecommunications) NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2025

G.S.R. 82(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 19 read with clause (zj) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road New Delhi-110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title, commencement and savings

- (1) These rules may be called the Telecommunications (Standards, Conformity Assessment and Certification)
 Rules. 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall be in supersession of the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2017, but shall not override the terms and conditions of existing standards, essential requirements, interface requirements, security assurance requirements, specifications, testing requirements, or conformity assessment issued by the Central Government, which shall continue to apply till such time as the same are superseded by a notification of the Central Government under section 19 of the Act.

2. Definitions

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
 - (b) "Appropriate Authority" means the authority designated by the Central Government under rule 4;
 - (c) "Authorised Indian Representative" or "AIR" means a legal person who has been duly authorised by a foreign original equipment manufacturer to carry out all obligations required under these rules;
 - (d) "conformity assessment" means any procedure used to demonstrate and determine that compliance with notified standards;
 - (e) "CAB" or "Conformity Assessment Body" means the person recognised by the Appropriate Authority for the purpose of conformity assessment under these rules;
 - (f) "Essential Requirements" or "ER" means a set of parameters, standards, specifications, security requirements as the case may be, as notified by the TEC from time to time;
 - (g) "License" means a license, registration, or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 for provision of telecommunication services or telecommunication network, and the word licensee shall be construed accordingly;

- (h) "Original Equipment Manufacturer" or "OEM" means a company or firm responsible for manufacturing on its own or through contract manufacturing and under whose brand the telecommunication equipment is sold or proposed to be sold;
- "portal" means the portal which may be notified by the Central Government under rule 12 of these rules;
 and
- (j) "standard" means a document issued by the Appropriate Authority which lays down any or all of the following: characteristics, related processes, codes, specifications, recommended practices, classification, test methods, procedures and guides, in respect of telecommunication equipment, telecommunication identifiers, telecommunication networks and telecommunication services, and includes Essential Requirements and Indian Telecom Security Assurance Requirements.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Applicability of these rules

These rules, and the standards and conformity assessment measures notified under section 19 of the Act, shall apply to OEM, AIR, importers, distributors, sellers, authorised entities, licensees and users.

4. Appropriate Authority

- (1) The Telecommunication Engineering Centre and the National Centre for Communication Security, which are offices of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, shall each be an Appropriate Authority for the purpose of these rules.
- (2) The Central Government may notify any other office or authority as the Appropriate Authority for the purpose of notification of standards and conformity assessment measures.

5. Notification and review of standards and conformity assessment

- (1) The Appropriate Authority shall notify standards and conformity assessment measures in respect of any or all of the aspects specified under section 19 of the Act.
- (2) The Appropriate Authority shall ensure prior publication of draft standards and draft conformity assessment measures, including detailed procedures for the mandatory testing and certification of telecommunication equipment, to allow for a consultation process of at least thirty days to enable stakeholders to provide their comments, which shall be taken into consideration in the finalization of the standards or conformity assessment measures, as the case may be.
- (3) The Appropriate Authority may, notwithstanding sub-rule (2), notify a standard or conformity assessment measure on a provisional basis without any consultation process, where it determines, for reasons to be recorded in writing: (a) that such notification is necessary to expeditiously achieve a policy objective, and (b) the risks of non-fulfilment of such objective if such notification on a provisional basis is not undertaken:
 - *Provided that* the Appropriate Authority shall within a period of sixty days of such notification, undertake a consultation process as mandated under sub-rule (2), and take into consideration the stakeholder comments for either finalizing the standards or conformity assessment measures, or withdrawing such standards or conformity assessment measures.
- (4) The Appropriate Authority may, notwithstanding sub-rule (2), rectify any mistake or error apparent in any notified standard or conformity assessment measure, without prior stakeholder consultations.
- (5) The Appropriate Authority shall review, at least once in three years, all notified standards and conformity assessment measures, to determine the need for revision, amendment, reaffirmation or withdrawal of such standards, in accordance with these rules.

(6) Any standard notified under these rules shall be effective from the date specified therein:

Provided that the Appropriate Authority may permit the concurrent operation of two versions of a standard, and the duration of such concurrent operation.

6. Recognition of Conformity Assessment Bodies

- (1) The Appropriate Authority may recognize a laboratory in India or a laboratory in any country, other than those with which India shares a land border, accredited under the International Laboratory Accreditation Cooperation, as a CAB for carrying out conformity assessment of standards notified under section 19 of the Act
- (2) The Appropriate Authority may specify, from time to time, guidelines for the recognition, suspension, withdrawal or renewal of recognition of CABs:

 *Provided that recognition or designation of a CAB shall not be suspended or withdrawn without due opportunity to be heard being granted to the relevant CAB.
- (3) The Appropriate Authority shall maintain a record of CABs established, recognised or designated by it.

7. Compliance with Conformity Assessment

- (1) Every OEM, AIR, importer, distributor, seller, authorised entity or licensee, as the case may be, shall, at its own cost, ensure compliance with conformity assessment measures in respect of the applicable standard, and submit the test reports to the Appropriate Authority to obtain a certificate of conformity assessment.
- (2) The validity of the certificate of conformity assessment shall be as specified in such certificate, and such certificate may be renewed subject to compliance with the procedures as notified by the Appropriate Authority.
- (3) The Appropriate Authority may, from time to time, specify the fees on the portal for issuance of the certificate of conformity assessment and its renewal.
- (4) Where a notified standard applies, the OEM or AIR, as the case may be, shall ensure that the details of the standard, and certificate number of the certification provided by the Appropriate Authority and its validity, is displayed in a visible manner on the telecommunication equipment.
- (5) No telecommunication equipment to which a standard applies, shall be sold or deployed in any telecommunication network, or otherwise used in the territory of India, unless it has a valid certificate of conformity issued by the Appropriate Authority.

8. Exemptions from conformity assessments

- (1) The following shall be exempted from the requirement of conformity assessment under these rules:
 - (a) telecommunication equipment imported into India for the purpose of carrying out research and development or demonstration or testing of samples in India, subject to compliance with relevant rules and procedures for such research, demonstration or testing; and
 - (b) telecommunication equipment brought into India by a person for personal use in India and that is not otherwise prohibited to be imported or used under the Act or any other law for the time being in force.
- (2) An OEM, AIR, importer, distributor, seller, authorised entity or licensee, shall not be required to undergo any recertification of telecommunication equipment in the following cases:
 - (a) where the model or brand of such telecommunication equipment is not different in any manner from that certified by the Appropriate Authority; and
 - (b) where such telecommunication equipment complies with changes to any labelling requirements as notified by the Appropriate Authority from time to time.
- (3) The Central Government may, from time to time, notify exemptions from the requirement for conformity assessment, in addition to those specified under sub-rule (1) and sub-rule (2).

Procedure by an authorised entity or a licensee in respect of telecommunication equipment without valid certificate of conformity assessment

- (1) An authorised entity or a licensee shall, upon becoming aware of use of telecommunication equipment that does not have a valid certificate of conformity assessment, issue a notice in writing to the user seeking discontinuance by the user of such telecommunication equipment within a period of seven days from the date of issuance of the notice.
- (2) Where a user, upon receipt of a notice under sub-rule (1) does not discontinue the use of the non-compliant telecommunication equipment within seven days from the date of issuance of such notice, the authorised entity or licensee, shall suspend the telecommunication service or connectivity to the telecommunication network to such user and inform the Central Government in writing of such discontinuance.

10. Inspection and Monitoring

- (1) The Appropriate Authority, or any officer authorised by the Central Government for this purpose, may from time to time inspect and monitor compliance with the requirements of these rules.
- (2) Any person in possession of telecommunication equipment sought to be inspected under sub-rule (1), shall ensure access to the Appropriate Authority, or any officer authorised by the Central Government for this purpose, to its premises for the purposes of such inspection and monitoring and provide information as may be sought by the Appropriate Authority.

11. Procedure in relation to contravention

- (1) If the Appropriate Authority, or any officer authorised by the Central Government for inspection and monitoring under these rules, obtains information during the course of inspection or otherwise, that the telecommunication equipment is not accompanied by a valid certificate of conformity assessment, it shall issue a notice in writing to the person in possession of such equipment to cease from offering for sale or distribution, or using such equipment in any manner, and the recipient of such notice shall comply with such notice within seven days of receipt of such notice:
 - Provided that the recipient of the notice under sub-rule (1), may apply for certification as required under these rules for the relevant telecommunication equipment, and if such certification is obtained within one hundred and eighty days from such notice, it shall be entitled to sell or distribute or otherwise use such equipment;
 - Provided further that the fees applicable for such certification shall be ten times the fees as specified pursuant to sub-rule (3) of rule 7.
- (2) The Appropriate Authority may initiate legal proceedings for the seizure or destruction of equipment that are used in contravention of sub-rule (1).

12. Digital implementation of these rules

The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify a portal for the digital implementation of these rules, including for specification of the standards and conformity assessment, procedures for compliance, fees and charges, notices of non-conformity, and any orders or directions under these rules by the Appropriate Authority.

[F. No. 24-13/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.